5.6.18	पत्रावली राजस्व परिषद् अभियान समाधान आपके द्वार 2018 शिविर उपनारपुर में पेश हुई। उभयपक्ष हाजिर। पत्रावली का अवलोकन किया। अप्रार्थी गण 2,3,5,6,7,9 के विरुद्ध पूर्व में दिनांक 9.11.17 को एकतरफा कार्यवाही हो चुकी है। शेष अप्रार्थी ने पक्ष तनकुत जा कर फैसला हेतु निवेदन किया। बहस सुनी गई। मौजा ग्राम का खेवट खाता न० ... की आ०स० 142,143,144,161,454,456 457,458 कुल किता 8 कुल रकबा 1.16 हे० वर्तमान राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी की संयुक्त खातेदारी में अप्रार्थी 1 का 1/3, अप्रार्थी न 3 का 1/3 व 4,5,6 का 1/3 हिस्सा दर्ज है। इसी तरह मौजा पाथी का खेवट खाता न० 133 की आ०स० 156,157, 158,160 कुल किता 4 कुल रकबा 0.30 हे० में अप्रार्थी 1 का 1/3, अप्रार्थी न 3 का 1/3, 4,5,6 का 1/3 हिस्सा संयुक्त खातेदारी में दर्ज है। व आ०न० 140 पाट न. स्थित है जो अप्रार्थी न 1 का 1/12, अप्रार्थी न 3 1/12, अप्रार्थी न 4,5,6

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

का 1/12, अप्रार्थी नं. 7 का 1/4 अप्रार्थी नं. 8 का 1/4, अप्रार्थी नं 7, 8, 9, 10, 11 का संयुक्त रूप से 1/4 हिस्सा दर्ज है।

वा.प. की कॉलम 1, 2, 3 में अंकित समस्त आराजियात पक्षकारान की मौरूसी है पूर्व में उक्त आराजियात नोला, हिरा, किसना, कालु पिता उम्मेदा मेहतर के नाम पर दर्ज थी नोला की मृत्यु हो गई है उसके वारिस पुत्र प्यारी, उदा, भेरा थे और इन सभी की मृत्यु हो गई है और प्यारी का वारिस अप्रार्थी नं. 1 रामलाल है तथा उदा की वारिस अप्रार्थी नं. 3 पुत्री हिरी, भेरा के वारिस अप्रार्थी 4, 5, 6 है। व हिरा, रवरतेदारान के वारिस अप्रार्थी नं 7 से 11 तक है। अप्रार्थी नं रामलाल (रामा) की पत्नी गांगीबाई और इनका पुत्र प्रार्थी लोकेश है अप्रार्थी नं. 1 राम लाल व पु. गांगी बाई के मध्य आपसी मनमुटाव हो जाने से दोनो के मध्य विवाह विच्छेद हो गया और इस आशय की फारगती इकरारनामा भी अप्रार्थी नं. 1 ने पु. गांगीबाई के पक्ष में दिनांक 24.2.12 को लिखकर दे दिया है। अप्रार्थी नं. 1 ने अप्रार्थी नं 2 के साथ नाता विवाह कर लिया और वह उसके साथ पत्नीवत रह रही है और इसके बाद अप्रार्थी नं 1 ने अप्रार्थी नं 2 के नाम पर दिनांक 30.3.2015 को पंजि. विक्रय पत्र से खाता 132 का 1/12 भाग, खाता नं 133 में आ.नं 156, 157, 158, 160 का 1/3 भाग एवं खाता नं 142, 143, 144, 161 का 1/3 भाग विक्रय कर दिया मगर

दीपक गोयल

उक्त विक्रयपत्र वादी के हिस्से व हक के मुकाबले शून्य होकर प्रभावहीन है तथा उक्त स्वामी विक्रयशुदा आराजि वादी व अप्रार्थी न. 1 का 1/2, 1/2 हिस्सा है। सम्पूर्ण हिस्सा विक्रय करने का अप्रार्थी न. 1 को कोई अधिकार नहीं है तथा वह केवल अपना हिस्सा ही विक्रय कर सकता है अत: उक्त विक्रय पत्र वादी के हिस्से तक शून्य होकर प्रभावहीन है। मूल दावे के निस्तारण में समय लगने से अस्थायी निषेधाज्ञा चाही है। हमने सम्पूर्ण पत्रावली का अवलोकन किया व की गई बहस पर मनन किया। प्रथम दृष्टया मामला वादी के पक्ष में सिद्ध होता है। अत: मौजा पाथी का खेवट की आ.नं. 143, 144, 161, 454, 456, 457, 458 कुल किता 8 कुल रकबा 1.16 है व आ.नं. 156, 157, 158, 160 कुल किता 4 कुल रकबा 0.30 है. व आ.नं. 140 में मूल दावे के निस्तारण तक अप्रार्थी संख्या 1, व 2 शामिल खाते की यथास्थिति अपने हक हिस्से तक बनाये रखें। रहन, बय, बख्शीश नहीं करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर रिकार्ड में जमा हो। आदेश जलसे आम में सुनाया गया।

[illegible] गायल
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, कपासन
जिला-चित्तौड़गढ़ (राज.)